

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 497 / 2008 / धौलपुर.
2. अपील संख्या - 498 / 2008 / धौलपुर.

मैसर्स मुन्नालाल शर्मा कॉन्ट्रेक्टर, धौलपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 07 / 07 / 2015

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 289 व 290 / उपा-भरत / 05-06 / आरएसटी में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 11.12.2007 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. अपील संख्या 497 / 2008 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2002-2003 का नियमित कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29 दिनांक 14.03.2005 को 'शून्य' मांग का पारित किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि उसके द्वारा आलौच्य अवधि में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, धौलपुर से अवार्डेड कार्यों के पेटे रूपये 19,61,072/- की प्राप्तियां की हैं। इस पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) ने अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.08.2005 को पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा बताई गई पंजीकृत खरीद रूपये 3,54,380/- को स्वीकार किया गया। बजरी व गिट्टी की दर्शाई गई अपंजीकृत खरीद रूपये 50,000/- एवं एम.एस. वार




लगातार.....2

की खरीद रूपये 2,00,000/- को कम मानते हुए गिट्टी की खरीद रूपये 70,000/-, बजरी की खरीद रूपये 50,000/- एवं एम.एस. बार की खरीद रूपये 2,80,000/- अनुमानित की जाकर, बजरी एवं गिट्टी पर 12 प्रतिशत की दर से एवं एम.एस.बार पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। सरचार्ज रूपये 2160/- तथा वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए विलम्ब से पेश किये जाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 500/- एवं कार्यादेश व 'जी' शिड्यूल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण धारा 68 के तहत शास्ति रूपये 500/- का आरोपण किया गया।

4. अपील संख्या 498/2008 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 के दौरान अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, धौलपुर से अर्वार्डड कार्यों के पेटे रूपये 51,69,768/- की प्राप्तियां करना दर्शाते हुए, पंजीकृत खरीद रूपये 6,66,780/-, अपंजीकृत खरीद रूपये 9,50,000/- एवं मजदूरी व्यय 12,92,442/- दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा दर्शित विवरण को यथावत स्वीकार करते हुए तदनुसार कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29(3) दिनांक 14.09.2005 को पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए विलम्ब से पेश किये जाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 500/- एवं कार्यादेश व 'जी' शिड्यूल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण धारा 68 के तहत शास्ति रूपये 500/- का आरोपण भी किया गया।

5. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध पेश की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों दिनांक 11.12.2007 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गयी हैं।


6. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं कार्य की प्रकृति पर गौर किये बिना मनमाने तौर पर अपंजीकृत खरीद की राशि अनुमानित की जाकर तदनुसार करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलार्थी द्वारा समस्त तथ्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करा दिये गये थे, जिन पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर गौर किये बिना अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने



में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलार्थी द्वारा बजरी व गिट्टी का क्रय सॉयल्टी चुकाकर किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त सामग्री पर प्रथम बिन्दु पर कर अदा कर दिये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से करारोपण किया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा निष्पादित कार्य की प्रकृति को देखते हुए एम.एस.बार की अपंजीकृत खरीद वास्तविक बताई थी, जिसे बढ़ाये जाने में भी त्रुटि की गयी है। अपील संख्या 498/2008 के सम्बन्ध में कथन किया गया कि उनके द्वारा अपंजीकृत खरीद रुपये 3,50,000/- दर्शाई गई थी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने तौर पर रुपये 5,50,000/- अनुमानित करते हुए तदनुसार करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

7. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में निष्पादित किये गये संविदा कार्य सिविल कार्य हैं। अतः संविदा कार्यों की प्रकृति को देखते हुए व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की सहमति से संविदा कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त अपंजीकृत खरीद निर्धारित की जाकर इस पर विधि अनुसार करारोपण किया गया है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ना तो निष्पादित किये गये कार्यों के कार्यादेश उपलब्ध करवाये गये एवं ना ही 'जी' शिड्यूल प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में आनुपातिक रूप से गणना किया जाना सम्भव नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रकृति एवं खरीद को दृष्टिगत रखते हुए अपंजीकृत खरीद की राशि अनुमानित की जाकर तदनुसार करारोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एवं कार्य संविदा से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर धारा 61 व 68 की शास्तियों का आरोपण भी विधि अनुसार किया गया है। अपील संख्या 498/2008 के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपंजीकृत खरीद रुपये 5,50,000/- दर्शाई गई थी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने यथावत स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।



9. अपील संख्या 497/2008 से सम्बन्धित प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2002-03 के दौरान अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, धौलपुर से अवार्डेड सिविल संविदा कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप रूपये 19,61,072/- की प्राप्तियां किया जाना बताया गया है। अवार्डर नगरपालिका धौलपुर ने स्रोत पर कर की कटौती रूपये 67,657/- की गई है। अपीलार्थी ने संकर्म संविदा निष्पादन के सम्बन्ध में कार्यादेश व 'जी' शिड्यूल की प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 27.04.2005 को कर निर्धारण अधिकारी को लिखित में उक्त अवधि में कार्य किये जाने की सूचना दी गई जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 03 पर उपलब्ध है, उसके आधार पर धारा 30 में आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कार्यों के पेटे बजरी व गिट्टी की अपंजीकृत खरीद रूपये 50,000/- एवं एम.एस. बार की अपंजीकृत खरीद रूपये 2,00,000/- दर्शाई गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद की राशि को अपर्याप्त मानते हुए बजरी की खरीद रूपये 50,000/-, गिट्टी की खरीद रूपये 70,000/- एवं एम. एस. बार की खरीद रूपये 2,80,000/- अनुमानित की जाकर करारोपण किया गया है। अपीलार्थी सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 16 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

16. Burden of proof .-


The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act shall be on such person.

10. अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं करने पर अनुमान के आधार पर प्रचलित ट्रेंड के आधार पर वृद्धि की है, जो युक्तियुक्त प्रतीत होती है।

11. इसी प्रकार राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 25(3) निम्न प्रकार है :-

25. Deduction from turnover .-

(3) In the case of a works contract, while determining the taxable turnover apart from the deductions provided under sub-rule (1), the amount shall also be deducted from the total value of the contract.



लगातार.....5


Explanation.- Where the amount of labour is not determinable from the accounts of a contractor, or is considered unreasonably high in view of the nature of the contract, the deduction towards labour charges shall be allowed by the assessing authority according to the limits laid down in column 3 for the type of contract specified in column 2 of the Table appended hereto :-

TABLE

Item No.	Type of contract	Labour charges as a percentage of the gross value of the contract
6.	Civil works like construction of buildings, bridges, roads, dams, barrages, canals and diversions.	25

12. उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार सिविल कार्यों के निष्पादन में मजदूरी की अधिकतम राशि कुल संविदा राशि की 25 प्रतिशत अनुज्ञेय है, जो अपील संख्या 497/2008 से सम्बन्धित प्रकरण में अधिकतम राशि रूपये 4,90,268/- होती है। व्यवहारी द्वारा पंजीकृत खरीद रूपये 3,54,380/- दर्शाई गई है। अपंजीकृत खरीद रूपये 2,50,000/- दर्शाई गई है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा रूपये 19,61,072/- के कार्यों के पेटे रूपये 10,94,648/- का व्यय किया जाना पाया जाता है एवं सकल लाभ की राशि रूपये 2,94,160/- दर्शाई है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है तथा निष्पादित कार्यों के पेटे दर्शाई गई पंजीकृत एवं अपंजीकृत खरीद की मात्रा अत्यन्त कम प्रतीत होती है। सामान्य विवेक से सोचने पर भी यह असामान्य प्रतीत होता है कि 19,61,072/- के कार्यों के पेटे व्यवहारी द्वारा मात्र 6,04,380/- की खरीद ही की गई है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद राशि में की गई रूपये 1,50,000/- की वृद्धि अविधिक ना होकर पूर्णतया विधिसम्मत है।

13. अपील संख्या 498/2008 से सम्बन्धित प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 के दौरान अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, धौलपुर से अवार्डेड सिविल संविदा कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप रूपये 51,69,768/- की प्राप्तियां किया जाना बताया गया है। उक्त कार्यों के पेटे व्यवहारी द्वारा रूपये 6,66,780/- की पंजीकृत खरीद एवं रूपये 5,50,000/- की अपंजीकृत खरीद किया जाना दर्शाया गया है, जो कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 6 पर उपलब्ध है। यद्यपि उक्त खरीद संविदा कार्यों की प्रकृति को देखते हुए कम प्रतीत होती है, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त खरीद को यथावत स्वीकार करते हुए तदनुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं के स्तर पर अपंजीकृत खरीद में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत




लगातार.....6

खरीद रूपये 3,50,000/- दर्शाया जाना अंकित करते हुए अपीलीय अधिकारी एवं कर बोर्ड के समक्ष अपील किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित अपील संख्या 498/2008 भी बलहीन आधारों पर प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।

14. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के ना तो वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए प्रस्तुत किये गये हैं एवं ना ही निष्पादित किये गये संविदा कार्यों के कार्यादेश व 'जी' शिड्यूल प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 व 68 के तहत आरोपित की गई शास्तियां भी पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः दोनों प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।



(मनोहर पुरी)
सदस्य